क.रा.बी.निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर के लिए अधिवक्ताओ के नामिकायन में शामिल होने हेतु दिशानिर्देश तथा नियम एवं शर्ते

क.रा.बी. निगम अपने अधिवक्ताओं के पैनल के माध्यम से अपने मामलों का बचाव करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क.रा.बी. निगम के विधिक मामलों का उचित बचाव किया जाए। मामलों का उचित बचाव करने हेतु, अच्छे पैनल वाले अधिवक्ताओं का होना आवश्यक है, जो न्यायालयों के समक्ष मामलों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम हों। कराबी निगम, उप क्षे0 का0, अलवर तथा इसके न्यायाधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों (अलवर/कोटपुतली-बहरोड/नीमराना/भरतपुर/डीग/भिवाडी/खैरथल-तिजारा) पर अवस्थित माननीय बीमा न्यायालय, माननीय सीजेएम न्यायालय, माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय, माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं विभिन्न अन्य अदालती मामलों के लिए अधिवक्ताओं का नामिकायन संयुक्त निदेशक प्रभारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, अलवर की स्वीकृति से किया जाता है।

अधिवक्ताओं को नामिकायन में शामिल करने की नीति, नामिकायन में शामिल करने की विधियाँ एवं प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु, निम्नलिखित बिदुं है :

(अ). सामान्य शर्ते

1. विभिन्न विधिक मंचों के समक्ष मामलों का प्रभावी ढंग से बचाव करने हेतु, क.रा.बी.निगम के पास अपने स्वयं के नामिकायन अधिवक्ताओं का एक समूह है। क.रा.बी. निगम द्वारा उन्हें देय शुल्कों की अनुसूची निर्धारित की जाएगी।
2. नामिकायन में शामिल होने से केवल विधिक कार्यों हेतु विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त होगा, यदि कोई कार्य है तो एवं यह क.रा.बी. निगम को अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय पैनल में शामिल किसी भी अधिवक्ता को कार्य प्रदान करने या देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
3. मामलों का आवंटन क.रा.बी. निगम द्वारा अधिकृत अधिकारियों के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा।
4. **नामिकायन में शामिल होने की अवधि समाप्त होने या नवीनीकरण न होने की स्थिति में, अधिवक्ता को क.रा.बी. निगम द्वारा आवंटित मामले एवं उससे संबंधित सभी अन्य दस्तावेज/अभिलेख, यदि आवश्यक हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, वापस करने होंगे। किसी भी अधिवक्ता को अनुबंध की अवधि समाप्त होने या रद्द होने पर क.रा.बी. निगम का प्रतिनिधित्व करने या कोई भी गतिविधि करने का अधिकार नहीं होगा।**
5. समान मामलों/विधिक बिदुंओं से जुड़े या आपस में जुड़े या समूहीकृत मामलों को यथासंभव एक ही अधिवक्ता को सौंपा जा सकता है, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मामलों का केंन्द्रीकरण एक अधिवक्ता/कुछ अधिवक्ताओं के पास न हो।
6. नामिकायन में शामिल अधिवक्ता मामलों को किसी और को नहीं सौंपेंगे और वे स्वयं ही उनका निपटान करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें मामले में शामिल निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिवक्ताओं (यदि कोई है) के साथ-साथ क.रा.बी. निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय एवं कार्य करना पड़ सकता है।
7. नामिकायन में शामिल अधिवक्ताओं को अपने पत्रशीर्ष, साईन बोर्ड, नाम पट्ट, पेम्पलेट आदि पर क.रा.बी. निगम का नाम, लोगो, प्रतीक आदि का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे कि 'क.रा.बी. निगम के विधिक सलाहकार', 'क.रा.बी. निगम के अधिवक्ता' आदि। कोई भी नामिकायन अधिवक्ता किसी भी न्यायालय या मंच के समक्ष स्वयं को क.रा.बी. निगम के स्थायी अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक क.रा.बी. निगम द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।
8. अधिवक्ता क.रा.बी. निगम के संबंधित मामलों में कुशल और प्रभावी पेशेवर सेवाएं सुनिष्चित करेगा और उचित ध्यान देगा तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित नियमों, जिनमें आचार संहिता और नैतिकता संबंधी नियम शामिल हैं, का हर समय अनुपालन सुनिष्चित करेगा।
9. **अधिवक्ता, क.रा.बी. निगम की ओर से किसी भी मामले की पैरवी करते समय, क.रा.बी.निगम के निर्देशों के बिना कार्य नहीं करेगा और प्रत्येक सुनवाई की कार्यवाही की सूचना क.रा.बी. निगम को मेल द्वारा देगा तथा प्रत्येक सुनवाई के आदेशों की प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसके बिना क.रा.बी. निगम**

द्वारा भुगतान बिलो का निपटान नही किया जा सकेगा।

10. अधिवक्ता किसी भी स्थगन का अनुरोध तब तक नहीं करेगा जब तक कि क.रा.बी.निगम वैध अथवा ठोस कारणों से इसे आवश्यक न समझे। किसी भी परिस्थिति में, क.रा.बी.निगम द्वारा सौंपे गए मामले न्यायालय के समक्ष अनुपलब्ध नहीं रहने चाहिए। ऐसा नामिकायन में शामिल होने की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और नामिकायन से निष्कासन का कारण बन सकता है।

11. नामिकायन में शामिल प्रत्येक अधिवक्ता के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर आवधिक समीक्षा की जाएगी, जिसका प्रारूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाएगा।

12. नामिकायन में शामिल अधिवक्ता क.रा.बी.निगम की ओर से संभाले गए मामलों या अन्य मामलों की पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगे और किसी भी तीसरे पक्ष या मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे। उपर्युक्त शर्त का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता को पैनल से हटा दिया जाएगा।

13. उचित औचित्य या कारणों के बिना क.रा.बी. निगम की ओर से किसी मामले को लेने से मना करने पर पैनल में शामिल अधिवक्ता की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

14. क.रा.बी.निगम किसी भी समय नियुक्ति निबंधन एवं शर्तों में आशोधन या ढील देने का अधिकार के सुरक्षित रखता है। साथ ही अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने का भी अधिकार है। अधिवक्ता समय-समय पर क.रा.बी. निगम द्वारा निर्धारित नामिकायन में शामिल होने के लिए अपेक्षित निबंधन एवं शर्तो को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा।

15. अधिवक्ता का उस स्थान पर कार्यालय होना चाहिए जहां नामिकायन में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा रहा है। अधिवक्ता के पास कार्यालय होना चाहिए जहां आसानी से जाया जा सके, कक्ष, पुस्तकालय, मानव संसाधन आदि के रूप में पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना होनी चाहिए, जिसे हर समय ध्यान में रखा जाएगा।

16. अधिवक्ता के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल होना चाहिए।

17. अधिवक्ताओं के आवेदनों की सूची क.रा.बी.निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार की जाएगी। अधिवक्ताओं को नामिकायन में शामिल करने की अंतिम प्रक्रिया से पूर्व यथा- साक्षात्कार / संवाद के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (यात्रा भत्ता) देय नहीं होगा।

18. क.रा.बी. निगम बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का, या आवष्यकता पड़ने पर नामिकायन में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

19. यदि आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझा जाए, तो मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, क.रा.बी. निगम की ओर से मुकदमों की पैरवी करने के लिए भारत के महान्यायवादी/सह-महान्यायवादी/अतिरिक्त सह-महान्यायवादी /महाअधिवक्ता/निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जा सकता है।

20. यदि मुकदमेबाजी के लिए बाहर के किसी अधिवक्ता की नियुक्ति क.रा.बी. निगम के हित की सर्वोतम रक्षा या उसे बढ़ावा देने के लिए वांछनीय समझी जाती है तो पैनल से बाहर के किसी अधिवक्ता को क.रा.बी. निगम द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

<u>(ब). पैनल हेतु पात्रता (क्राइटेरिया)</u>

1. अधिवक्ता के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

2. अधिवक्ता का भारतीय विधिज्ञ परिषद/राज्य विधिज्ञ परिषद के साथ अधिवक्ता के रूप में नामांकित/पंजीकृत होना आवश्यक है।

3. जिला एवं सैषन न्यायालय/बीमा न्यायालय/सीजेएम न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में पैनल में शामिल होने के लिए, अधिवक्ता के अभिलेख में पंजीकृत अधिवक्ता होना चाहिए।

4. माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय/बीमा न्यायालय/सीजेएम न्यायालय और विभिन्न अन्य न्यायालयों/अधिकरणों में पैनल के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं के पास न्यूनतम, दिनांक 30.06.2026 को, 05 वर्ष का पेशेवर/न्यायालय अभ्यास अनुभव होना आवश्यक है। तथा यह वांछनीय है कि आवेदक अधिवक्ता ने श्रम कानूनों से संबंधित विधिक प्रकरणों में पैरवी की हों।

5. आवेदक अधिवक्ता के पास ईएसआई अधिनियम के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों और प्रासंगिक संहिताओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

(स). पैनल का कार्यकाल व आकार

निरंतता और स्थिरता के लिए, समान्यतः पैनल का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। तथापि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पैनल को भंग किया जा सकता है।

नए पैनल के गठन की प्रक्रिया मौजूदा पैनल का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व आरंभ कर दी जाएगी। यदि किसी कारणवश मौजूदा पैनल का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व किसी नए पैनल का गठन किया जाता है, तो मौजूदा पैनल तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि नए पैनल का गठन नहीं हो जाता, ताकि चल रहे मुकदमों पर कोई प्रभाव न पड़े।

मौजूदा पैनल का कार्यकाल नए पैनल के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाया जा सकता है और मौजूदा पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के लिए विस्ततृ अवधि के दौरान पेशेवर विधिक सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा।

प्राप्त आवेदनों के अनुसार पैनल में जिले वार अधिवक्ताओं की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम 5 हो सकती है ।

(य). शुल्क का भुगतान और अन्य शर्ते

1. अधिवक्ताओं को देय शुल्क कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक टी-11/15/12/2016-वॉल्यूम ा दिनांक 25.03.2026 (जिसमें भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग (न्यायिक अनुभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05.02.2026 का भी संदर्भ दिया गया है)- के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं और विधि अधिकारियों के लिए निर्धारित किया गया है।
2. किसी भी पैनल अधिवक्ता को केवल पैनल में शामिल होने मात्र से कोई प्रतिधारण शुल्क नहीं दिया जाएगा।
3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पैनल काउंसलों को 01.04.2026 से पहले उनकी उपस्थिति और किए गए कार्य के लिए पुरानी दरों पर, तथा 01.04.2026 को या उसके बाद किए गए कार्य के लिए संशोधित दरों पर भुगतान किया जाएगा।

(र). पैनल के लिए सामान्य प्रक्रिया

1. आवेदक अधिवक्ता को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य प्रपत्र/प्रारूप पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवष्यकता और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करने और उन्हें पैनल में शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से आवेदक अधिवक्ता को चयन के लिए बुलाए जाने और चयनित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
4. उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करने और उनके चयन के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निर्णय अंतिम होगा।
5. किसी भी तरह का पक्ष-प्रचार अयोगयता मानी जाएगी। ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
6. तिथि-समय, स्थान और पारस्परिक विचार-विमर्श का माध्यम सामान्यतः ईमेल या पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में एस.एम.एस. आदि का उपयोग संप्रेषण के अतिरिक्त माध्यम के रूप में किया जा सकता है।
7. आवेदक अधिवक्ता को पारस्परिक विचार-विमर्श के समय मूल दस्तावेज लाने की आवष्यकता हो सकती है।

8. चयनित अधिवक्ताओं की सूची कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। पैनल में शामिल होने के लिए चयनित आवेदक अधिवक्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अलग से इलेक्ट्रोनिक या लिखित सूचना जारी की जा सकती है।

(ल). अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

अधिवक्ताओं को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

1. विधि डिग्री और अन्य अर्हकताओं की प्रति;
2. बार काउंसिल द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;
3. बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति;
4. पहचान प्रमाण की प्रति;
5. अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड पंजीकरण की प्रति;
6. उन 10 निर्णयों की प्रतियां जिनमें अधिवक्ता ने याचक के रूप में पेशी की हो;
7. अधिवक्ता के पक्ष में अन्य प्राधिकारियों/संस्थाओं द्वारा जारी पैनल में शामिल होने के पत्रों की प्रतियां;
8. संक्षिप्त अनुभव, पृष्ठभूमि, शिक्षा, मुवक्किलों की सूची और निपटाए गए मामलों की प्रकृति सहित बायोडाटा;
9. वर्तमान की दो रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो;
10. पिछले दो वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति।

(व). चयन समिति

नामिकायन सदस्यों के चयन के लिए दो स्तरीय समिति होगी-

क. पहला, अधिवक्ताओं के दस्तावेजों, प्रोफाइल और कार्य-प्रदर्शन के आधार पर नए आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार करना।

ख. दूसरी, संक्षिप्त सूची में शामिल आवेदकों से संवाद करना/साक्षात्कार लेना और संक्षिप्त सूची में से अधिवक्ताओं का चयन करना।

(श). क.रा.बी.निगम मुख्यालय में पैनल में शामिल करने के लिए गठित द्विस्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क. प्रथम स्तरीय समिति - संयुक्त निदेषक प्रभारी, क.रा.बी.निगम, उप क्षे0 का0, अलवर द्वारा नामित तीन सदस्य ।

ख. द्वितीय स्तरीय समिति (3/5 सदस्य) - संयुक्त निदेषक प्रभारी, क.रा.बी.निगम, उप क्षे0 का0, अलवर द्वारा नामित अधिकारी और उपलब्धता अनुसार संबंधित क्षेत्र के विशेष आमंत्रित व्यक्ति को सह-सदस्य बनाया जा सकता है।

ग. संयुक्त निदेषक प्रभारी, क.रा.बी.निगम, उप क्षे0 का0, अलवर द्वारा दोनों समितियों के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा।

(ष). पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के कर्तव्य

1. आवेदक किसी भी पक्ष को सलाह नहीं देंगे या क.रा.बी. निगम के हितों के विरूद्ध कोई ऐसा मामला स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें वे स्वयं उपस्थित हुए हैं या भविष्य में उपस्थित होने या सलाह देने के लिए बुलाए जाने की संभावना हो, और जिससे क.रा.बी. निगम के हितों में मुकदमेबाजी की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
2. न्यायालय में क.रा.बी. निगम की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए आवेदक की समय पर उपस्थिति अनिवार्य है और न्यायालय में उनकी अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
3. क.रा.बी. निगम पैनल के आवेदकों को ईमेल के माध्यम से किसी मामले के सौपे जाने की सूचना भेजता है। ईमेल प्राप्त होने के बाद, पैनल के आवेदकों का यह कर्तव्य है कि वे क.रा.बी. निगम के सम्बन्धित कार्यालय से याचिका की संपूर्ण प्रति और कार्यभार पत्र यथाशीघ्र प्राप्त करें।
4. क.रा.बी. निगम अपनी पसंद के किसी भी आवेदक को नियुक्त करने के लिए स्वतन्त्र है और पैनल

में शामिल आवेदक यह दावा नहीं कर सकते कि क.रा.बी. निगम के कानूनी मामले केवल उन्हें सौंपे जाएंगे।
5. किसी आवेदक द्वारा बिना किसी उचित कारण (जैसे हितों के टकराव के आधार पर) किसी भी कार्य को अस्वीकार करने पर, पैनल की अवधि समाप्त होने से पहले ही, उन्हें तत्काल पैनल से हटाया जा सकता है।
6. आवेदकों को क.रा.बी. निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित पैनल की शर्तों और नियमों को स्वीकार करना होगा।
7. चल रहे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, पैनल में शामिल आवेदकों को प्रत्येक सुनवाई की तारीख के बाद मामलों की स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्बता पैनल से नाम हटाने का आधार होगी।
8. ऐसे मामलों में जहां भारत संघ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुरोध पर उनका भी प्रतिनिधित्व करना आवश्यक हो, भारत संघ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हितों की रक्षा के लिए आवेदक को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
9. आवश्यकता पड़ने पर, क.रा.बी. निगम के पैनल में शामिल आवेदक विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विशिष्ट मामलों में नियुक्त विशेष या वरिष्ठ आवेदक को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे।
10. पैनल में शामिल आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे क.रा.बी. निगम को निर्धारित मामलों में सभी महत्वपूर्ण घटनों, सुनवाई की तिथियों, न्यायालय के आदेश की तिथि पर उसके निर्णय की सूचना देंगे और आदेश/निर्णय की प्रति उपलब्ध कराएंगे।
11. विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मामलों और उनके परिणामों के बारे में मासिक विवरण प्रस्तुत करेंगे।
12. जब उनके द्वारा उपस्थित किसी मामले में निगम के हित में निर्णय आता है, तो सम्बन्धित आवेदक को ऐसे प्रतिकूल आदेश के कारणों और ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील दायर करने की उपयुक्ता के संबंध में आदेश की तिथि से 5 कार्य दिवसों के भीतर विचार पूर्वक राय देनी होगी।

(स). निजी वकालत का अधिकार और प्रतिबंध

1. एक अधिवक्ता को निजी वकालत का अधिकार होगा, हालांकि यह क.रा.बी.निगम के पैनल में शामिल अधिवक्ता के रूप में उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा नहीं डालना चाहिए या उसके विरूध नहीं होना चाहिए।
2. पैनल में शामिल होने के दौरान एक अधिवक्ता कराबी निगम के इतर किसी भी बाहरी पक्ष को सलाह नहीं देगा और न ही क.रा.बी.निगम के विरूध कोई मामला स्वीकार करेगा।

(ह). पैनल में शामिल होने का रद्द होना

निम्नलिखित में से किसी भी कारण से किसी अधिवक्ता का पैनल में शामिल होना रद्द किया जा सकता है :
1. पैनल में शामिल होने के आवेदन में झूठी जानकारी देना;
2. बिना किसी पर्याप्त कारण और/या पूर्व सूचना के मामले की सुनवाई में उपस्थित न होना;
3. क.रा.बी.निगम के निर्देशों का पालन न करना या विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करना;
4. क.रा.बी.निगम के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि को धमकाना, डराना या अपशब्द कहना;
5. क.रा.बी.निगम के मामले से संबंधित जानकारी विपक्षी पक्षों या उनके अधिवक्ताओं या किसी तीसरे पक्ष को देना जिससे क.रा.बी.निगम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;
6. मामले की कार्यवाही से संबंधित क.रा.बी.निगम को झूठी या भ्रामक जानकारी देना;
7. बार-बार स्थगन का अनुरोध करना या बिना पर्याप्त कारण के दूसरे पक्ष द्वारा किए गए स्थगन के अनुरोध पर आपत्ति न करना;
8. न्यायालय की कार्यवाही से बार-बार अनुपस्थित रहना, भले ही अधिवक्ता द्वारा “पास ओवर“ या “प्रॉक्सी“ प्राप्त कर लिया गया हो।
9. क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा मूल्यांकन के अनुसार पैनल में शामिल अधिवक्ता का खराब प्रदर्शन।

इसके अतिरिक्त, क.रा.बी.निगम बिना कोई कारण बताए एक महीने के लिखित नोटिस पर किसी भी अधिवक्ता की पैनल सदस्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिवक्ता भी एक महीने का नोटिस देकर पैनल सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(क्ष). कठिनाई का निवारण
इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में, यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है, या इन दिशा-निर्देशों के किसी खंड की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो क.रा.बी.निगम का निर्णय अंतिम होगा।

(त्र). किसी भी नियम एवं शर्त में छूट
क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के महानिदेशक को निर्धारित किसी भी नियम एवं शर्त में छूट देने का अधिकार होगा।

उप निदेशक
कृते संयुक्त निदेशक प्रभारी